FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई

मुकाम अराई (अजमेर)

गुटखा देवी बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

33/2022

प्रार्थी घीसा पुत्र गोपाल की ओर से यह प्रार्थना पत्र वकील श्री इन्द्रेश के. रामचन्दानी द्वारा पेश किया गया। वकील वादी ने निवेदन किया कि माननीय न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88,89 राज.का.अधि. 1955 के तहत इस आशय के तहत प्रस्तुत किया गया था कि ग्राम देवपुरी के खसरा संख्या 340 रकबा 7.9201 हैक्टैयर जो प्रार्थी घीसा पुत्र गोपाल लाल के नाम खातेदारी दर्ज थी जिसमें प्रार्थी का 839/1958 हक हिस्सा दर्ज था एवं उपरोक्त भूमि में से 120/1958 हिस्सा घीसा पुत्र गोपाल से गुटखा देवी ने खरीद लिया था जिसका विक्रय विलेख उपपंजीयक अराई कार्यालय में पंजीयन करवाया गया था जिसमें वादीया गुटखा देवी पत्नि गोगा के स्थान पर सूरज्ञान देवी दर्ज हे तथा सूरज्ञान देवी के स्थान पर गुटखा देवी पत्नि गोगा के नाम का दुरूस्तीकरण किया जाना आवश्यक है। वादीया ने इस बाबत न्यायालय के समक्ष उपरोक्त उनवान में एक घोषणात्मक वाद पेश किया था जबकि विधि का सुस्थापित पहलू यह है कि घोषणात्मक वाद में संबंधित खातेदार को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है एवं माननीय न्यायालय ने बिना किसी प्रकार की साक्ष्य लिये एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये दिनांक 29.04.2022 को उपरोक्त वाद को डिक्री कर दिया। श्रीमान जी से निवेदन है कि वाद क्रमांक 99/2021 में एकपक्षीय डिक्री दिनांक 29.04.2022 को अपास्त फरमाते हुये प्रार्थी को जवाब पेश करने का अवसर प्रदान करने की कृपा करें।

हमारे द्वारा वकील प्रार्थी को सुना गया। बिना गुणावगुण टिप्पणी किये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किया जाकर प्रार्थना पत्र दिनांक 10.06.2022 को पेश हो।

31/05/22
उपखण्ड अधिकारी
अराई

10/06/2022 पत्रावली पेश की अप्रार्थीगणों के तामीलशुदा नोटिस प्राप्त होकर शामिल मिसल / [illegible] [illegible] [illegible] द्वारा [illegible] [illegible] पत्रावली दिनांक 01/07/2022 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)

01/7/2022 पत्रावली पेश हुई आज [illegible] की ओर से कार्य स्थगन रखा गया।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 08/7/2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
अराँई

०४/७/२०२५ पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी की ओर से वकील महावीर मालाकार उप० होकर वकालतनामा व जवाब पेश किया की प्रति वकील प्रार्थी को दी गई। वकील प्रार्थी द्वारा जवाब पेश नहीं करने की एवं बहस करना चाहा। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी की प्रा.पत्र 09 R13 पर बहस सुनी गयी वास्ते आदेश 09 R13 पत्रावली दिनांक २५/७/२०२५ को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)

२५/७/२०२५ पत्रावली पेश हुई प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 को स्वीकार किया जाकर आदेश पृथक से टंकण करवाने की उपरान्त स्वीकार किया जाकर खारिज किया गया। प्रा० पत्र 09 R13 को मूल वाद में रिमार्क करके शा.मि. किया जावे। प्रा०पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)

मुकदमा नम्बर 99/2021

उनवान गुटखा देवी बनाम सरकार

श्रीमति गुटखा देवी पत्नी गोगा जाति जाट निवासी ग्राम देवपुरी तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान व अन्य **प्रार्थीगण**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान व अन्य **अप्रार्थीगण**

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

निर्णय दिनांक **22.07.2022**

उपस्थितः- **वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी दौराने बहस**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी घीसा पुत्र गोपाल जाति जाट निवासी ग्राम देवपुरी की ओर से वकील प्रार्थी श्री इन्द्रेश कुमार ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत पेश कर निवेदन किया कि माननीय न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88,89 राज.का. अधि. 1955 के तहत इस आशय के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि ग्राम देवपुरी के खसरा संख्या 340 रकबा 7.9201 हैक्टैयर जो प्रार्थी घीसा पुत्र गोपाल की खातेदारी में दर्ज थी जिसमें प्रार्थी का 839/1958 हक हिस्सा था एवं उपरोक्त भूमि में से 120/1958 हिस्सा घीसा पुत्र गोपाल से गुटखा देवी ने खरीद किया था। जिसका विक्रय विलेख उपपंजीयक अरांई कार्यालय मे पंजीबद्ध किया गया था। विक्रय विलेख में वादीया गुटखा देवी पत्नी गोगा की जगह सुरज्ञान पत्नी रामधन दर्ज हो गया। इस कारण से वादीया के विक्रय विलेख में गुटखा देवी के स्थान पर सूरज्ञान देवी दर्ज हैं एवं सूरज्ञान देवी के स्थान पर गुटखा देवी के नाम का दुरूस्तीकरण किया जाना आवश्यक है। वादीया ने इस बाबत दिनांक 19.11.2021 को तहसीलदार के समक्ष आवेदन किया था। उपरोक्त वाद में माननीय न्यायालय से यह अनुतोष चाहा था कि वादीया का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खाता संख्या नया 76 पुराना 72 के खसरा संख्या 340 रकबा 7.9201 हैक्टैयर वाके ग्राम देवपुरी पटवार हल्का देवपुरी गिरदावर हल्का दादिया तहसील अरांई जिला अजमेर का नाम विक्रय विलेख के पेज नंबर 03 में सूरज्ञान पत्नी रामधन के स्थान पर गुटखा देवी पत्नी गोगा दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें तथा अन्य अनुतोष

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

...ई थे। उपरोक्त वाद मे मूलतः विक्रय विलेख में संशोधन किये जाने बाबत अनुतोष चाहा गया है। यह पहलू विधि से सुस्थापित है कि Testamentary document cannot be rectified by the revenue court and stamp act and tenancy act is a separate parameters jurisdiction authority. माननीय न्यायालय के समक्ष उपरोक्त प्रकरण उपरोक्त उनवान से दर्ज किया गया एवं यह पहलू विधि से सुस्थापित है कि घोषणात्मक वाद में संबंधित खातेदार के पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है तथा माननीय न्यायालय के समक्ष यह तथ्य भी स्पष्ट हो चुका था कि सूरज्ञान पत्नी रामधन नाम की महिला हैं, इसके उपरान्त भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में निम्नानुसार आदेशिका कायम कर, इस प्रकरण को दिनांक 29.09.2004 को एक पक्षीय रूप से बिना किसी प्रकार की साक्ष्य लिये अधिकार विहिन रूप में वाद डिक्री पारित किया है तथा वकील वादी द्वारा पत्रावली की आदेशिकाओं का भी अंकन किया गया। इसी के अनुक्रम में वकील वादी ने आगे निवेदन किया कि उपरोक्त वाद में प्रतिवादी ने संस्वीकृति का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है बल्कि वाद के तथ्यों के तथ्यों का खण्डन किया गया है, जिस पर विवाद्यक बनाये बिना, साक्ष्य लिये बिना राज्य सरकार के हित को ध्यान में रखे बिना आदेश से राज्य सरकार को प्राप्त होने वाली राजस्व आय भी वंचित होती है, उपरोक्त विक्रय विलेख कूटरचित है कपटपूर्ण है। जिसके बाबत आपराधिक प्रकरण न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट किशनगढ के न्यायालय में पूर्व से ही विद्यमान है। उपरोक्त एक पक्षीय आदेश का प्रार्थी को दिनांक 09.05.2022 को प्रथम बार संज्ञान हुआ एवं इसकी नकलों हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 17.05.2022 को प्रार्थी को नकल प्राप्त हुई है। श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रकरण संख्या 99/2021 गुटखा देवी बनाम सरकार में दिनांक 29.04.2022 को पारित एक पक्षीय निर्णय, डिक्री को अपास्त फरमाई जाकर प्रार्थी को सुनवाई जवाब प्रस्तुती के लिये अवसर प्रदान किये जाने की कृपा करावें

प्रार्थना पत्र दिनांक 31.05.2022 को 33/2022 पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी गुटखा देवी पत्नी गोगा जाति जाट निवासी देवपुरी को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 08.07.2022 को अप्रार्थी गुटखा देवी पत्नी गोगा जाति जाट निवासी देवपुरी की ओर से वकील महावीर मालाकार ने जवाब पेश किया जिसमें वकील अप्रार्थी (गुटखा देवी पत्नी गोगा जाति जाट निवासी देवपुरी) ने अपने जवाब में निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है, रजिस्ट्री गुटखा के पक्ष में हुई थी उक्त रजिस्ट्री के सम्बन्ध में धारा 406, 420, 465,467,468,471,120बी की एक आई आर पेश की जो न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायाधीश प्रथम वर्ग किशनगढ ने स्वीकार कर ली अतः उक्त रजिस्ट्री वैध्य मानी जावे। यह है कि रेवेन्यु मुकदमा संख्या 99/2021 में घीसा पुत्र गोपाल को सन्तुष्टि पूर्ण तामिल सूचना प्राप्त हुई और दिनांक 22.04.2022 कि अदालत कार्यवाही में यह अंकन है कि घीसा व सूरज्ञान के तामिल सूदा नोटिस प्राप्त हुये तथा सूरज्ञान ने दावा डिक्री करने का सहमति में जवाब दिया और घीसा ने जानबूझकर न्यायालय कार्यवाही में बाधा पहुचाने के लिये 22.04.2022 को न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ अतः घीसा का प्रार्थना पत्र आदेश आदेश 09 नियम 13 व्यवहार प्रक्रिया संहिता खारिज योग्य है साथ ही वकील प्रार्थी के लगाये गये सारे

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

आरोप निराधार है तथा आधारहीन है अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि घीसा पुत्र गोपाल का प्रार्थना पत्र आदेश आदेश 09 नियम 13 व्यवहार प्रक्रिया संहिता खारिज कर दिया जावे। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी ने सीधे ही बहस हेतु निवेदन किया। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर बहस सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि न्यायालय ने एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जो कि पुनः Examine करने योग्य है, अप्रार्थी के वकील ने मूल वाद में प्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा रजिस्ट्री में संशोधन के लिये अलग प्रक्रिया है श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रकरण संख्या 99/2021 गुटखा देवी बनाम सरकार में दिनांक 29.04.2022 को पारित एक पक्षीय निर्णय, डिक्री को अपास्त फरमाई जाकर प्रार्थी को सुनवाई जवाब प्रस्तुती के लिये अवसर प्रदान किये जाने की कृपा करावें,, वकील अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र मियाद बाहर है तथा उक्त प्रकरण में एक एफ आई आर भी दर्ज हुई थी जिसमें पुलिस अनुसंधान कर रही है तथा प्रार्थी के सभी तथ्य निराधार तथा गलत है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को खारिज किया जावे।

हमारे द्वारा वकील प्रार्थी व अप्रार्थी की बहस सुनी गई। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र के मियाद बाहर होने का आदेश किया जाना उचित समझतें हैं, उक्त प्रा. पत्र के मूल वाद 99/2021 गुटखा देवी बनाम सरकार में दिनांक 29.04.2022 को अन्तिम निर्णय सुनाया गया था तथा वकील प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 27.05.2022 को पेश कर दिया गया था जिसे की दिनांक 31.05.2022 को दर्ज किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र समय सीमा की अवधि के भीतर है अतः प्रा. पत्र को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

हमारे द्वारा वकील प्रार्थी व अप्रार्थी की बहस सुनी गई तथा मूल प्रकरण 99/2021 गुटखा देवी बनाम सरकार का अवलोकन किया गया। दिनांक 08.04.2022 को प्रार्थी घीसा पुत्र गोपाल व सूरज्ञान निवासी देवपुरी को नोटिस जारी किये गये थे जिसकी तलबी हुई, यह स्पष्ट नहीं है जबकि उचित प्रकार से तलबी होकर उसका जवाब लिया जाना आवश्यक था साथ ही उसे मूल वाद में पक्षकार बनाया जाना भी आवश्यक था जो कि वकील वादी ने नहीं किया। अतः न्यायहित में प्रार्थी घीसा पुत्र गोपाल जाति जाट निवासी देवपुरी जरिये वकील पेश किये गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय आदेश दिनांक 29.04.2022 व डिक्री को अपास्त किया जाता है। मूल वाद 99/2021 गुटखा देवी बनाम सरकार को पुनः नम्बर पर लिया जावे तथा इस प्रार्थना पत्र को मूल वाद में शामिल किया जाकर, वकील पक्षकारान को सूचित किया जाकर मूल वाद अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 02.09.2022 को पेश हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षर करने के उपरान्त खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2/07/22

उपखण्ड अधिकारी
अरांई